

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/157

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	88/24	5/4/2024	ADT 22/5/24	18/4/2024

अनवान

श्री बालुलाल / मांगीलाल जाति रेगर श्री त्रेमचन्द / बच्चा रेगर

निवासी चोडीवा निवासी काहोला

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री रामफूल हाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

का. लाल लाल वनाम श्रीमचन्द्र
 किस्म मुकदमा - 111-128 नम्बर 88 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18./4./2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
18/4/24	<p>पत्रावली पेश हुआ। तलबक वदी/नकल उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरा पर हों। प्रार्थना पत्र दिनांक 16/5/24 को वास्ते उरी भिषा हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी</p>	
	<p>16/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिकारता धारि उपस्थित। विपक्षीय में छ-पक्षीय मोदेरा पारित किए गए। विपक्षी वरर रुकमा अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बतल, अछामी दिनांक 22/5/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	
	<p>22/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिकारता धारि उपस्थित। पत्रावली में मोदेरा सुधार गए एवं वररुल्लार बिजौलियां को करार जारी हो। पत्रावली वररुल्ल सुधार होकर अम्बर से कम होकर पारित पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 88/24

तारीख 5/4/24

कालुलाल पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. प्रेमचन्द पुत्र बन्ना जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी काछोला, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. सीताराम पुत्र प्यारचन्द जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. सम्पति पुत्री मोतीलाल पत्नि रामस्वरूप जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक:

प्रार्थना पत्र में कालुलाल पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मौजा थडौदा पटवार हल्का थडौदा में स्थित खाता संख्या 55 पर अंकित आराजी संख्या 51/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर सामलाती भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा थडौदा पटवार हल्का थडौदा में स्थित खाता संख्या 55 पर अंकित आराजी संख्या 51/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर सामलाती भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 88/24

तारीख 5/4/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 88 / 2024 पत्थरगढी बाबत।

कालुलाल पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. प्रेमचन्द पुत्र बन्ना जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी काछोला, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. सीताराम पुत्र प्यारचन्द जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. सम्पति पुत्री मोतीलाल पत्नि रामस्वरूप जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा थडौदा पटवार हल्का थडौदा में स्थित खाता संख्या 55 पर अंकित आराजी संख्या 51/2 रकबा 0.8094 हेक्टेयर सामलाती भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ खुर्द कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

